संख्या- 5/[illegible]/21-1-95-111194

प्रेषक,

डा० इन्दु प्रकाश ऐरन
प्रमुख सचिव
भाषा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन ।
2- समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश ।
4- समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश ।
5- समस्त निगमों /परिषद् के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक,उ०प्र०
6- समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश ।

भाषा अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 30 अक्टूबर, 1995

विषय:- सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बन्द किया जाना तथा भारत सरकार से हिन्दी में पत्र व्यवहार किया जाना ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम के अधीन प्रदेश में समस्त शासकीय कार्यों मे देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है।तत्क्रम में पार्श्वांकित शासनादेशों के माध्यम से उक्त आदेशों के अनुपालन पर बल दिया जाता रहा है परन्तु अभी भी कुछ कार्यालयों/अधिकारियों द्वारा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग प्रदेश एवं भारत सरकार के कार्यालयों से पत्राचार में किया जा रहा है। जो राज्य सरकार की भाषा नीति का उल्लंघन है ।

(1) शासनादेश संख्या-165/इक्कीस-4/73 दिनांक 3 अप्रैल, 1973
(2) शासनादेश संख्या-1355/इक्कीस-3/9/71 दिनांक 27 अगस्त, 1971
(3) शासनादेश सं० 3848/21-91-11/36/90 दिनांक 24-12-91
(4) शासनादेश संख्या-90/21-1-94-111/94 दिनांक 27-1-94

2- जहाँ तक भारत सरकार से पत्र व्यवहार का सम्बन्ध है सभी पत्र हमेशा हिन्दी में भेजे जाय और यदि कहीं भाषा के कारण भारत सरकार में किसी पत्र पर तुरन्त कार्यवाही न होने की आशंका हो तो मूल पत्र हिन्दी में प्रेषित करते हुए उसका अंग्रेजी अनुवाद संलग्न कर दिया जाय ।

3- अतएव कृपया अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उपर्युक्त आदेशों से अवगत कराने तथा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग तत्कालिक प्रभाव से बन्द कराने का कष्ट करें ।

भवदीय

(डा० इन्दु प्रकाश ऐरन)
प्रमुख सचिव

संख्या-5498(1)/21-1-95 -1(1)94 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव ,श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश ।
2- निबन्धक,उच्च न्यायालय इलाहाबाद /लखनऊ ।
3- सचिव विधान सभा/परिषद ।
4- सचिव,लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश ,इलाहाबाद ।
5- सचिव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ,उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अधिकारी ।
7- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से ,

(जगन्नाथ सिंह)
विशेष सचिव